

भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2011
28.07.2014 को उत्तर दिए जाने के लिए

राजस्थान में फ्लोराइड संदूषित पेयजल

2011. श्री राम नारायण डूडी:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में राजस्थान राज्य में फ्लोराइड संदूषित पानी की समस्या से कितने जिले ग्रस्त हैं;
- (ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस समस्या के निराकरण हेतु राज्य सरकार को कितनी धनराशि मुहैया कराई गई; और
- (ग) वर्तमान में, केन्द्र सरकार उक्त समस्या के निराकरण के लिए क्या प्रयास कर रही तथा क्या योजना बना रही है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क) मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 1.4.2014 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान की कुल 1,21,133 बसावटों में से 23,956 बसावटें, एक या एक से अधिक पेयजल स्रोतों में फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह तत्व, लवणता एवं/ अथवा नाइट्रेट जैसे रसायनों से गुणवत्ता-प्रभावित हैं। इनमें से 7670 बसावटें फ्लोराइड संदूषण से प्रभावित हैं। राजस्थान राज्य में पेयजल के स्रोतों में फ्लोराइड संदूषण से प्रभावित बसावटों का जिला-वार विवरण अनुलग्नक पर दिया गया है।

(ख) मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सहित राज्य सरकारों को निधियां जारी करता है। मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्थान सरकार को जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं:

(रुपए करोड़ों में)

वर्ष	जारी की गई राशि
2011-12	1153.76
2012-13	1411.36
2013-14	1332.49
2014-15 (आज की तिथि तक)	375.37

राजस्थान सरकार गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने के लिए उपर्युक्त निधि का उपयोग कर सकता है।

(ग) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के अंतर्गत राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों में उनकी सहायता करता है। राज्यों को आबंटित एनआरडीडब्लूपी निधियों के 67 प्रतिशत तक का उपयोग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एनआरडीडब्लूपी निधियों का 5 प्रतिशत उन राज्यों के लिए चिन्हित और आबंटित किया गया है, जहाँ पीने के पानी में रासायनिक संदूषण की समस्याओं का सामना किया जा रहा है अथवा जहाँ जापानी एनसैफलाइटिस एवं तीव्र एनसैफलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार जल गुणवत्ता के अनुवीक्षण तथा निगरानी के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर राज्यों को 3 प्रतिशत एनआरडीडब्लूपी निधियां उपलब्ध कराती है, जिसमें अन्य कार्यों के साथ-साथ जिले/ उप जिले में नए अथवा उन्नत जल गुणवत्ता जाँच प्रयोगशालाएं स्थापित करने, प्रयोगशालाओं को रसायन तथा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध कराने, ग्राम पंचायतों को क्षेत्र जाँच किट/ रीफिल उपलब्ध कराने आदि से संबंधित कार्यों को किया जाना शामिल है। इसके अलावा राज्यों को आबंटित एनआरडीडब्लूपी निधियों के 10 प्रतिशत तक का उपयोग भूमिगत जल का कृत्रिम ढंग से पुनर्भंडारण करने के लिए तथा अन्य तरीकों से पेयजल के स्रोतों की निरंतरता के लिए किया जा सकता है जिनमें अन्य तरीकों के साथ-साथ एक्वीफायरों में संदूषण का स्तर भी कम हो सकता है।

मंत्रालय ने गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने को प्राथमिकता दी है।

दिनांक 28.7.2014 के लिए राज्य सभा अतारंकित प्रश्न सं. 2011 के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक
दिनांक 1.4.2014 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में पेयजल में फ्लूराइड संदूषण का जिला-वार
विवरण

क्रम.सं.	जिला का नाम	फ्लूराइड संदूषण से प्रभावित बसावटों की संख्या
1	अजमेर	273
2	अलवर	331
3	बांसवाडा	135
4	बारान	12
5	बाइमेर	533
6	भरतपुर	14
7	भीलवाडा	76
8	बीकानेर	40
9	बूंदी	10
10	चित्तौड़गढ़	89
11	चुरू	181
12	दौसा	38
13	धौलपुर	0
14	डुंगरपुर	288
15	गंगानगर	29
16	हनुमानगढ़	5
17	जयपूर	333
18	जैसलमेर	415
19	जालौर	759
20	झालावाड़	5
21	झुनझुनु	159
22	जोधपुर	1561
23	करौली	197
24	कोटा	40
25	नागौर	831
26	पाली	241
27	राजसमंद	293
28	सवाई माधोपुर	72
29	सीकर	135
30	सिरोही	0
31	टोक	565
32	उदयपूर	10
	कुल	7,670